झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख

गोपनीय

विषयः– केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जाने के संबंध में।

भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न अवसरों पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की अवधि तक प्रत्येक परिवार को आवश्यक नागरिक सुविधा प्रदान करने के साथ **"सभी के लिए आवास–(शहरी)"** की परिकल्पना की गई है।

2. इस परिकल्पना को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा एक व्यापक मिशन **"2022 तक सबके लिए आवास–(शहरी)"** शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य निम्नांकित विकल्पों के माध्यम से स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है :–

2.1 भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम का पुनर्वास।

2.2 ऋण से जुड़े ब्याज अनुदान के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन।

2.3 सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण।

2.4 लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान।

482
22/01/16

3. "सबके लिए आवास–शहरी" मिशन की निर्धारित अवधि वर्ष 2015 से 2022 तक है। उक्त मिशन के तहत ऋण से संबंधित अवयव को छोड़ कर, शेष योजना केन्द्र प्रायोजित स्कीम (CSS) के रूप में कार्यान्वित की जाएगी।

4. योजना के अन्तर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भी भाग में अपने अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं है, वही परिवार इस मिशन के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होगा।

5. लाभार्थी को स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नांकित अनिवार्य शर्त्तों का अनुपालन वाध्यकारी किए जाने का प्रस्ताव है :–

5.1 लाभुक की पात्रता के लिए कट–ऑफ–डेट (Cut-off-date) मिशन के शुभारम्भ की तिथि अर्थात् दिनांक–17.06.2015 निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है।

5.2 लाभार्थी को स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त कट–ऑफ–डेट के पूर्व उस शहरी क्षेत्र/स्लम क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा।

5.3 लक्षित लाभार्थियों का Voter ID Card होना अनिवार्य होगा।

5.4 लाभार्थी के द्वारा उसके पैतृक जिले के राजस्व पदाधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाण–पत्र लेना अनिवार्य होगा।

5.5 लाभुक का बैंक एकाउन्ट संख्या होना अनिवार्य होगा। यदि लाभुक का आधार कार्ड हो तो उसे भी देना श्रेयष्कर होगा।

5.6 लाभुक मिशन के विभिन्न घटकों में से केवल एक ही घटक का लाभ ले सकते हैं।

5.7 पूर्व से संचालित केन्द्रीय प्रायोजित आवासीय योजनाओं का लाभ, लिए हुए लाभुक, इस मिशन के पात्र नहीं होंगे।